

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि-1/प्राशि/2003/पार्ट-1

जयपुर दिनांक: 20/02/2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल - II (NON TSP AREA) के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) के कलैण्डर में सशोधन के संबंध में।

प्रसंग: निदेशक, प्रा0शि0 बीकानेर के पत्रांक: शिविरा-प्रारं/नियुप्रको/नियु-2/982/टीजीटी 2016/लेवल-2/2016-17 दिनांक 19.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 में शिक्षक लेवल-II गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी कलैण्डर में दिनांक 20.02.2018 के बाद की जाने वाली प्रक्रिया हेतु तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित संशोधित दिनांक
1	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	05.03.2018
2	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	7 व 8 मार्च, 2018
3	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	15.03.2018

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

भवदीय,
20/02/2018
(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा- संबंधित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा- संबंधित।
10. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी